न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
29 / 2022	दावा 88 RTA	07.03.2022	29.09.2022

1. सतवीर सिंह पुत्र श्री मानसिंह निवासी ग्राम लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री पवनसिंह शेखावत एवं श्री योगेश शर्मा वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीग की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 179 खसरा संख्या 01 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या 109 तादादी 10.7621 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 तादादी 0.2150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 12 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 13 तादादी 1.3025 हैक्टेयर, खसरा संख्या 06 तादादी 2.4535 हैक्टेयर कुल खसरा 6 तादादी 18.9697 हैक्टेयर में से 1/112 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का रोही मौजा लोहसना छोटा पटवरा हल्का लोहसना बड़ा, भू.अ.नि. क्षेत्र सिरसला में स्थित है।

कृषि भूमि पहले वादी के पिता मानसिंह के खातेदारी की थी, जिनका स्वर्गवास हो जाने पर वादी को यह भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। वादी के पिता के तीन पुत्र के तीन पुत्र संतान मातुसिंह, रणवीरसिंह, वादी सतवीरसिंह स्वयं व पत्नी लिछमा वारिसान है। लेकिन राजस्व अधिकारियों की गलती से वादी का नाम सतवीरसिंह के स्थान पर सतपालसिंह अंकित हो गया है, जिसके कारण वादी के नाम में राजस्व रिकॉर्ड में गलती चली आ रही है, जिसे दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

वादी के पिता के सतपालसिंह के नाम से कोई पुत्र संतान नहीं है। वादी के पिता मानसिंह के तीन पुत्र मातुसिंह, रणवीरसिंह, व वादी सतवीरसिंह स्वयं है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी सतवीरसिंह का नाम सतपालसिंह गलत अंकित हो गया है। जबकि वादी का सही नाम वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आदि में सतवीरसिंह नाम अंकित है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी सतवीरसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलती से सतपालसिंह होने की वजह से वह कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, व सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना का लाभ लेने सें वंचित हो रहा है। इस

वजह से वादी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से वादी मानसिक रूप से परेशान रहने लगा है। इसलिए वादी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है।

वादी ने राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार चूरू से सम्पर्क किया तो पहले वे टालमटोल करते रहे, अंत में दिनांक 14.02.2022 को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती करने में असमर्थता जाहिर करते हुए इंकार कर दिया। लिहाजा यंही इंकारी की तारीख बिनाम मुखास्मत दावा है तथा इस कृषि भूमि में वादी संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से वादी को दावा लाने का अधिकार है।

दावा में तहसीलदार चूरू को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है क्यों कि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन उन्हीं के माध्यम से होना है। राज्य सरकार सरकार के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है कि जिससे उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इसलिए दफा 80(2) सी.पी. सी. का नोटिस दिये वगैरह ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थिति है। इसलिए माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हासिल है तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर निचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषित किया जावे की खाता संख्या नया 179 खसरा संख्या 01 तादादी 4.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या 109 तादादी 10.7621 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 तादादी 0.2150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 12 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 13 तादादी 1.3025 हैक्टेयर, खसरा संख्या 06 2.4535 हैक्टेयर कुल खसरा 6 तादादी 18.9697 हैक्टेयर में से 1/112 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का रोही मौजा लोहसना छोटा पटवरा हल्का लोहसना बड़ा, भू.अ.नि. क्षेत्र सिरसला में वादी का नाम सतपालसिंह के स्थान पर सतवीरसिंह अंकन किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दुरूस्त किया जावे।

(ख) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये [illegible] गई तथा तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई प्रतिवादी की ओर से पै[illegible] ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि जवाब नहीं देना चाहते, जिस [illegible] दी को साक्ष्यवादी हेतु कहा गया। वकील वादी ने कथन [illegible] दस्तावेजों को ही साक्ष्यवादी माना जावे, जिस पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील वादी [illegible] हस का निवेदन किया जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उसमें वादीगण का नाम सतपालसिंह दर्ज हो गया है गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम सतवीरसिंह है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से उन्हें केसीसी व अन्य राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि में अपने गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। वादी ने अपने दावा के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादीग का सही नाम सतवीरसिंह है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक सतपालसिंह पुत्र मानसंह के स्थान पर सतवीरसिंह पुत्र मानसिंह अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा संख्या 109 तादादी 10.7621 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 तादादी 0.2150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 12 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 13 तादादी 1.3025 हैक्टेयर, खसरा संख्या 06 तादादी 2. 4535 हैक्टेयर कुल खसरा 6 तादादी 18.9697 हैक्टेयर में वादी का नाम सतपालसिंह पुत्र मानसिंह दर्ज है जिनको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के परिवार राशन कार्ड सं.ख्या 007056600072, मतदाता पहचान पत्र सं. ZLX/0239152, आधार कार्ड सं. 629981450846 आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम सतवीरसिंह अंकित है फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का लोहसना बड़ा रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार चूरू में भी अंकित किया गया है कि सतपालसिंह व सतवीरसिंह दोनों एक ही है तथा वादी का सही नाम सतवीरसिंह पुत्र मानसिंह है। दावा में राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार, चूरू प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में जवाब दावा न पेश कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. संख्या 109 तादादी 10.7621 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 तादादी 0.2150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 12 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 13 तादादी 1.3025 हैक्टेयर, खसरा संख्या 06 2.4535 हैक्टेयर कुल खसरा 6 तादादी 18.9697 हैक्टेयर में वादी का गलत नाम सतपालसिंह अंकित चला आ रहा है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहत है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में अपने परिवार के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी का नाम सतवीरसिंह अंकित है । राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें [illegible] कार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त [illegible] वादी द्वारा पेश दस्तावेजों से वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित [illegible] स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का लोहसना बड़ा, रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का लोहसना बडा, रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 109 तादादी 10.7621 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 तादादी 0.2150 हैक्टेयर, खसरा संख्या 12 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 13 तादादी 1.3025 हैक्टेयर, खसरा संख्या 06 2.4535 हैक्टेयर कुल खसरा 6 तादादी 18.9697 हैक्टेयर में वादी का नाम सतपालसिंह पुत्र मानसिंह के स्थान पर सतवीरसिंह पुत्र मानसिंह किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी में नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री सत्यरारायण आर0ए0एस0

1. सतवीर सिंह पुत्र श्री मानसिंह निवासी ग्राम लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 29 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पवनसिंह शेखावत एवं श्री योगेश शर्मा एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात फर्द मौका, रिपोर्ट पटवार हल्का लोहसना बड़ा, रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का लोहसना बडा, रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के आधार पर स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 109 तादादी 10.7621 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 तादादी 0.2110 हैक्टेयर, खसरा संख्या 12 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 12 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 13 तादादी 1.3025 हैक्टेयर, खसरा संख्या 06 2.4535 हैक्टेयर कुल खसरा 6 तादादी 18.9697 हैक्टेयर में वादी का नाम सतपालसिंह पुत्र मानसिंह के स्थान पर सतवीरसिंह पुत्र मानसिंह किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी ने नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29 माह सितम्बर सन् 2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू